दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 2958/2014 और सि.वि.सं. 6149/2014

<u>निर्णय की तिथि: 20 मई, 2014</u>

खेम चंद ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री रमन दुग्गल, श्री सुधीर कुमार और श्री अनीश श्रेष्ठ, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री रुचि सिंधवानी, एएससी सह सुश्री बंदना शुक्ला, अधिवक्ता सह आरपी शर्मा के साथ, जीआई/एसटीए और श्री राम नारायण, जीआई एसटीए

कोरम:

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति गीता मित्तल

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल</u> (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 19 दिसंबर, 2013 को पारित आदेश का विरोध किया है, जिसमें उसके आवेदन मू.अं.सं. 2068/2012 को खारिज कर दिया गया था।

2. इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य काफी हद तक निर्विवाद हैं और आवश्यकतानुसार बाद में उन पर ध्यान दिया जाएगा।

3. हमने प्रत्यर्थीगण के मूल रिकॉर्ड मंगवाए हैं और उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

4. दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संक्षेप में डीएसएसएसबी) - प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक अनुरोध भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापन संख्या 03/07 प्रकाशित किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशिक्षक/गणित के 14 पदों (अनारक्षित श्रेणी में 12 और अनुसूचित जाति श्रेणी में 2) की रिक्तियों को अधिसूचित किया। विज्ञापन के अनुसार, प्रत्यर्थीगण ने निम्नलिखित पात्रता शर्तों को अधिसूचित किया था।

पात्रता की शर्तें:-

7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं: -	:	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3. ख्याति की एक इंजीनियरिंग कार्यशाला में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में एक वर्ष का प्रशिक्षण

5. विज्ञापन में सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित की भी जानकारी दी गई है:-

"उपरोक्त 14 अभ्यर्थियों (अनारक्षित 12, अजा-02) का चयन वैधानिक आरआरएस द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति तथा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में दर्शाए गए विज्ञापन की शर्तों के अधीन होगा तथा आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र आदि पर उनकी फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि तथा अंगूठे के निशान आदि के संदर्भ में उनकी पहचान का पूर्ण सत्यापन भी किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है या किसी अन्य वास्तविक कारणों से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी उपयोगकर्ता विभाग द्वारा भी रद्द की जा सकती है। उपयोगकर्ता विभाग का सक्षम प्राधिकारी मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करने की व्यवस्था करेगा। परिणाम सूचना

में नाम शामिल करने मात्र से अभ्यर्थी को पद पर कोई अधिकार नहीं मिल जाता।'

6. यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया था, लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक उपस्थित हुआ और 6 अप्रैल, 2011 के नोटिस संख्या 22 द्वारा अनुदेशक/गणित के पद के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के दो उम्मीदवारों में से एक के रूप में अनंतिम रूप से चयनित किया गया, इसके अलावा अनारक्षित उम्मीदवारों में 12 उम्मीदवार थे।

परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अन्य चयनित उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता का डोजियर प्रत्यर्थी संख्या 1 को भेज दिया ताकि उचित सत्यापन के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जा सके।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को वास्तविक पाया था। हालांकि, हम याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन से चिंतित हैं। अपनी दलील का समर्थन करने के लिए कि उसके पास प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कार्यशाला में अपेक्षित एक वर्ष का अनुभव है, याचिकाकर्ता ने "**टंडन** डीजल सर्विस" द्वारा उसे जारी किया गया 8 जून, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। शीर्षनामाके अनुसार, फर्म 3778 मोरी गेट, दिल्ली - 110006 में स्थित थी। 8 जून, 2006 का प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों में था:

"<u>प्रमाणपत्र</u>

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री खेम चंद 02 मई 2003 से 13 मई 2006 तक टंडन डीजल सर्विस में सहायक/हेल्पर (मैकेनिकल) के पद पर कार्यरत रहे हैं।

इस अवधि में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। उनका नैतिक चरित्र अच्छा है। हम उनके समृद्ध भविष्य की कामना करते हैं।

8. जब प्रत्यर्थीगण ने शीर्षनामापर दिए गए पते पर प्रमाण पत्र सत्यापित करने का प्रयास किया, तो फर्म से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रिकॉर्ड के अनुसार, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 24 अक्टूबर, 2011 को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली फर्म ने प्रमाण पत्र जारी करने के बाद से अपना पता बदल दिया है और यह निम्नलिखित पते पर है।:

टंडोन डीजल सेवा,
दुकान संख्या 3794/3, (गली में तीसरा),
मोरी गेट, (भोला राम मार्केट के सामने),
दिल्ली - 110 006.

याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को सूचित किया कि यदि वे फर्म के साथ पत्राचार करना चाहते हैं, तो उन्हें इस पते पर फर्म के साथ संवाद करना चाहिए।

9. परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए पते पर फर्म के स्वामी को दिनांक 4 नवंबर, 2011 को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को प्रस्तुत फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई थी, जिसमें इसके सत्यापन का अनुरोध किया गया था।

10. हमारे समक्ष प्रस्तुत मूल अभिलेख से पता चलता है कि 4 नवंबर, 2011 के पत्र के जवाब में, फर्म के स्वामी ने 28 नवंबर, 2011 को एक संप्रेषित पत्र भेजा है, जो इस प्रकार है:

"सन्दर्भ सं. टीडीएस 2/2011 दिनांक: 28/11/11

सेवा में,
प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग
मुनि माया राम मार्ग,
पीतमपुरा, दिल्ली - 110088

संदर्भ:- पत्र स. 21(12)/96/टीआरजी प्रशासन./ 1239/6939 दिनांकित 04.11.2011

<u>जिससे भी संबंधित हो</u>

प्रमाणित किया कि श्री खेम चंद पुत्र श्री पदम सिंह ने इस कार्यशाला में 02 मई 2003 से 13 मई 2006 तक सहायक/हेल्पर मैकेनिकल के रूप में काम किया है।

वह एक अच्छा नैतिक चरित्र रखता है।

हम उन्हें उनके भविष्य में करियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

11. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस शीर्षनामा पर दिनांक 28-11-11 का प्रमाण पत्र टाइप किया गया था, उसमें फर्म का नाम और पता **टोडन** डीजल सर्विस, 3793/3, कूचा रवि दास, भोला राम मार्केट के सामने, मोरी गेट, दिल्ली 110006 लिखा है।

12. यह पत्र भी उत्तरदाताओं को पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। मूल लिफाफा भी अभिलेखों में उपलब्ध है, जिसमें प्रेषक का पता हस्तलिखित है और इस प्रकार लिखा है: -

टोंडन डीजल सेवा
3793/3, कूचा रवि दास,
भोला राम मार्केट के पीछे
मोरी गेट, दिल्ली 110006

13. लिफाफे पर हस्तलिखित फर्म का नाम और पता 8 जून, 2006 के प्रमाण पत्र की पुष्टि करता है, जिसे याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन के साथ दाखिल किया था, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि उसने 2 मई, 2003 से 13 मई, 2006 तक कार्यशाला में सहायक/हेल्पर यांत्रिकि के रूप में काम किया था।

14. वास्तव में, याचिकाकर्ता के अनुभव का मुद्दा निर्णायक रूप से सुलझा लिया गया था और जहां तक याचिकाकर्ता के अनुभव का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए था। हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हम पाते हैं कि बेवजह, प्रत्यर्थीगण द्वारा 15 दिसंबर, 2011 को एक और संचार जारी किया गया था, जो फिर से टंडन डीजल सर्विस, दुकान संख्या 3794/3, तीसरी गली, मोरी गेट, भोला राम मार्केट के सामने, दिल्ली - 110006 के स्वामी को संबोधित था, जिसमें फर्म द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र के 18 नवंबर, 2011 के सत्यापन का उल्लेख था। इस पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थीगण द्वारा फर्म के स्वामी से कम्पनी के नाम के संबंध में सत्यापन की मांग की गई थी, क्योंकि शीर्षनामा पर नाम " **टोंडोन** डीजल सर्विस" अंकित था, जबकि चिपकाए गए रबर स्टैम्प पर फर्म का नाम "**टंडोन** डीजल सर्विस" अंकित था, जबकि मूल प्रमाण पत्र पर फर्म का नाम "**टंडन** डीजल सर्विस" लिखा हुआ था।

14. यह निर्विवाद है कि यह पत्र प्रत्यर्थीगण द्वारा स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। कंपनी ने 16 दिसंबर, 2011 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा प्रमाण पत्र भेजकर तुरंत जवाब दिया, फिर से एक शीर्षनामापर जिसमें फर्म का पता 3793/3, कूचा रवि दास, भोला राम मार्केट के सामने, मोरी गेट, दिल्ली 110006 दर्शाया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के 13 दिसंबर, 2011 के पत्र का संदर्भ दिया गया था, और यह एक बार फिर

प्रमाणित किया गया था कि श्री खेम चंद, वर्तमान याचिकाकर्ता ने पूर्वोक्त अवधि के लिए कार्यशाला में सहायक / हेल्पर मैकेनिकल के रूप में काम किया था। फर्म ने याचिकाकर्ता के अच्छे नैतिक चरित्र को भी प्रमाणित किया।

हम ध्यान दें कि इस पत्र पर गलती से 16 नवंबर, 2011 की तारीख अंकित है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के 13 दिसंबर, 2011 के पत्र का संदर्भ है। उपलब्ध मूल लिफाफे से पता चलता है कि इसे 16 दिसंबर, 2011 को पोस्ट किया गया है। इस प्रकार तारीख में 'नवंबर' का उल्लेख करने में त्रुटि है, जो वास्तव में 'दिसंबर' है।

15. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस लिफाफे में प्रमाण पत्र 16 दिसंबर, 2011 को भेजा गया था, उस पर फर्म का निम्नलिखित नाम और पता हाथ से लिखा हुआ है:

" **टंडोन** डीजल सेवा
दु.सं.3794/3, गली में तीसरा,
मोरी स्ट्रीट, बी. राम मार्केट के सामने,
दिल्ली 110006"

16. यह उल्लेखनीय है कि फर्म के सभी शीर्षनामे में निम्नलिखित दो टेलीफोन नंबर दर्ज हैं: -

☎2925217
2947828 पीपी

17. ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्षनामा पर उपनाम 'टंडन' की वर्तनी भिन्न है, जैसा कि विभिन्न लिफाफों और शीर्षनामा पर फर्म के नाम की पुष्टी से पता चलता है। फर्म की पहचान के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने डाक द्वारा सत्यापन के लिए अपने पत्र भेजे थे। फर्म ने स्पीड पोस्ट द्वारा पंजीकृत कवर के तहत उसी का जवाब दिया। इसलिए, चाहे संचार " टोंडोन डीजल सेवा" या टंडोन डीजल सेवा " या " टंडन डीजल सेवा " को भेजा गया हो, इसे विधिवत प्राप्त किया गया और समान प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। यह स्पष्ट है कि ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से वर्तनी, संदर्भ एक ही व्यक्ति और फर्म के लिए है जिसने पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है।

18. मूल अभिलेख में एक आधिकारिक उल्लेख भी है, जिसे 27 फरवरी, 2012 की तिथि वाले 291 संख्या से क्रमांकित किया गया है, जिसमें दर्ज है कि फर्म का उत्तर डाक से प्राप्त हुआ है और याचिकाकर्ता के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र ठीक पाया गया है। उल्लेख में कहा गया है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट वास्तविक नहीं पाई गई। प्रत्यर्थीगण के इस रुख के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि भौतिक सत्यापन का भी उल्लेख किया जाए, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रभावी करने का दावा किया है। यह सत्यापन मामलों की अत्यंत खराब स्थिति को दर्शाता है।

19. टंडोन डीजल सर्विस के स्वामी श्री टंडन ने 19 मार्च, 2012 को सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार, मुनि माया राम मार्ग,

पीतमपुरा, दिल्ली-110088 को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा भेजे गए 4 नवंबर, 2011 और 13 दिसंबर, 2011 के पत्रों का हवाला दिया गया और उन्हें संलग्न किया गया। उन्होंने विस्तार से बताया कि जब प्रत्यर्थी के निरीक्षक ने खेम चंद के संबंध में फर्म द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन करने के लिए फर्म का दौरा किया, तो क्या हुआ।

20. दिनांक 19 मार्च 2013 के पत्र में यह भी दोहराया गया है कि खेम चंद ने 2 मई 2003 से 13 मई 2006 तक इस कार्यशाला में सहायक/हेल्पर मैकेनिकल के रूप में काम किया था। इसने पुष्टि की कि 28 जून 2006, 28 नवंबर 2011 और 16 दिसंबर 2011 के पूर्वोक्त पत्र फर्म द्वारा प्रत्यर्थीगण को भेजे गए थे।

प्रत्यर्थीगण का मूल रिकॉर्ड पुन: दर्शाता है कि दिनांक 19 मार्च, 2012 का पत्र टं**डो**न डीजल सर्विस द्वारा पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था और प्रत्यर्थी संख्या 1 के कार्यालय में 23 मार्च, 2012 को प्राप्त हुआ था।

21. इस पत्र में स्वामी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से भौतिक सत्यापन के बहाने निरीक्षक द्वारा फर्म पर दबाव डाला गया। 19 मार्च, 2012 को लिखे पत्र में फर्म के स्वामी ने इस प्रकार कहा है:

> *"यह भी कहा गया है कि कुछ समय बाद, एक व्यक्ति, श्री मलिक व्यक्तिगत रूप से आए और श्री खेम चंद के अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में पूछताछ की। उन्होंने श्री खेम चंद को मेरे पर्यवेक्षक द्वारा 28.06.2006 को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी दिखाई। इसके अलावा, उन्होंने मुझे अपनी*

कार्यशाला में सेवा के दौरान की अवधि से संबंधित उपस्थिति रजिस्टर दिखाने के लिए कहा और बिक्री कर संख्या आदि की भी मांग की। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस अवधि के रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। फिर उन्होंने मुझे लिखित में देने के लिए कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। इसने स्वीकार किया कि हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं और अनुभव प्रमाण पत्र पर मेरे पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत थे। वास्तव में, श्री मलिक ने मुझे धोखा दिया और इस प्रमाण पत्र को नकली साबित करने के लिए मेरे हस्ताक्षर का उपयोग किया। तथ्य यह है कि श्री खेम चंद ने 2 मई 2003 से 13 मई 2006 तक मेरी कार्यशाला में सहायक/हेल्पर मैकेनिकल के पद पर काम किया है। यह भी एक तथ्य है कि पहले मेरी कार्यशाला 3778, मोरी गेट, दिल्ली - 110006 में स्थित थी, जिसे मैंने नए पते 3793/3, कूचा रवि दास, भोला राम मार्केट के सामने, नई दिल्ली - 110006 में स्थानांतरित कर दिया है।

22. इसलिए, यह स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन की आड़ में, जिस निरीक्षक को सत्यापन के लिए भेजा गया था, उसने वास्तव में फर्म के स्वामी को बाहरी कारणों से परेशान किया है, जिसका खुलासा नहीं किया गया है। उपरोक्त रूप में दर्शाई गई एकमात्र स्वामी की शिकायत से पता चलता है कि कैसे प्रत्यर्थीगण द्वारा भेजे गए निरीक्षक ने फर्म पर अपने पिछले प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने के लिए दबाव डाला।

23. यह उल्लेखनीय है कि श्री मलिक द्वारा भौतिक सत्यापन से भी यह पता चलता है कि टंडोन डीजल सर्विस दिए गए पते पर मौजूद है। इससे फर्म की पहचान का मुद्दा संदेह के दायरे से बाहर हो जाता है।

24. हमारा ध्यान 28 नवंबर, 2011 की तारीख वाले प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी पर किए गए इस कथन की ओर आकर्षित किया जाता है कि टंडोन डीजल सर्विस 1986 से उपर्युक्त पते पर मौजूद है। "मैंने इस अवधि के दौरान अपना पता कभी नहीं बदला" दिलचस्प बात यह है कि इस प्रमाण पत्र में भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि खेम चंद ने फर्म के साथ सहायक/हेल्पर मैकेनिकल के रूप में काम किया था।

25. जहाँ तक पते में परिवर्तन का सवाल है, फर्म द्वारा अपने संचार में इसकी सूचना दी गई है। प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 2006 के लिए फर्म के पते को सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जब मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

26. प्रत्यर्थी संख्या 1 की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री रुचि सिंधवानी, ने 8 जून, 2006 के प्रमाण पत्र पर किए गए इस अनुमोदन पर भरोसा किया कि “यह अनुभव प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया था - और हस्ताक्षर मेरे द्वारा नहीं किए गए थे"

यहाँ भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रमाण पत्र की व्याख्या करने में गंभीर गलती की है। फर्म के स्वामी ने स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिसके

कारण उसे निरीक्षक द्वारा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। स्वामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 जून, 2006 के प्रमाण पत्र पर उसके पर्यवेक्षक ने हस्ताक्षर किए थे, जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत था और उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

27. दिनांक 8 जून, 2006 के प्रमाण पत्र पर उपरोक्त कथन पर भरोसा करते हुए श्री अनिल मलिक द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2012 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

28. 19 मार्च, 2012 के संचार के अनुसार, यह कथन कि 2006 के प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, सही था। हालांकि, फर्म के स्वामी ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र पर उनके पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो अधिकृत थे और जिन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के तहत प्रमाण पत्र जारी किया था।

29. हमें यह भी बताया गया है कि निरीक्षक द्वारा जिस सत्यापन का दावा किया गया है, वह एकमात्र स्वामी के हाथ से लिखा हुआ नहीं है। जिन परिस्थितियों में उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे, उन्हें फर्म के स्वामी द्वारा 19 मार्च, 2012 के पत्र में स्पष्ट किया गया है।

30. फर्म के स्वामी ने 28 नवंबर, 2011 के अनुमोदन की सत्यता से इनकार किया है, जबकि पिछले प्रमाण पत्र की सामग्री को दोहराया है जिस पर इसे समर्थन दिया गया था। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रमाण पत्र को

बदनाम करने के लिए अनुमोदन पर भरोसा किया ताकि याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए विचार से वंचित किया जा सके।

31. इसलिए, 8 जून, 2006 (जिसे रिकॉर्ड में कुछ स्थानों पर गलती से 28 जून, 2006 बताया गया है) के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

32. सुश्री रुचि सिंधवानी, विद्वान अधिवक्ता, द्वारा हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता का डोजियर 22 मार्च, 2012 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को वापस कर दिया गया था। अभिलेख में मूल डायरीकरण के अनुसार 19 मार्च, 2012 का पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 को 23 मार्च, 2012 को प्राप्त हुआ था। प्रत्यर्थीगण द्वारा इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। यदि 19 मार्च, 2012 का पत्र प्राप्त नहीं भी हुआ होता, तो भी उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि 4 नवंबर, 2011 और 15 दिसंबर, 2011 के पत्रों के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राप्त 28 नवंबर, 2011 और 16 दिसंबर, 2011 के पत्रों (गलत तरीके से 16 नवंबर, 2011 के रूप में उल्लेखित) पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

33. फर्म के नाम में टं**डो**न की अलग-अलग स्पेलिंग के आधार पर संदेह का मुखौटा बनाया गया है। वास्तव में फर्म ने खुद ही उपनाम 'टंडन' के लिए अलग-अलग स्पेलिंग का इस्तेमाल किया है, जैसा कि विभिन्न संचारों में दिखाई देता है। इस प्रकार यह संदेह पूरी तरह से तथ्यात्मक या कानूनी रूप से निराधार था।

34. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता और अनुसूचित जाति से संबंधित उसका जाति प्रमाण पत्र विधिवत सत्यापित है। याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लिया था और उसे प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत और गलत धारणा के आधार पर अनुकूल विचार और नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था कि उसने गलत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

35. यद्यपि याचिकाकर्ता का डोजियर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को 22 मार्च, 2012 को भेजा गया था, फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसे वापस लेने तथा 19 मार्च, 2012 के पत्र में दिए गए कथनों के आलोक में मामले में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है तथा वह कानून द्वारा निर्धारित विशेष उपचार का हकदार है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि जिस पद के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, वह रिक्ति अभी भी मौजूद है तथा याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

36. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत **टंडोन** / **टोंडोन** द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं था, रिकॉर्ड के साथ-साथ स्थापित तथ्यों के भी विपरीत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आवेदक की फाइल प्रत्यर्थी संख्या 2 को लौटाना या इस कारण से याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करना उचित नहीं था।

तदनुसार यह निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है: -

(i) दिनांक 19 दिसंबर, 2013 का आदेश अपास्त किया जाता है तथा अभिखंडित किया जाता है।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश जारी किया जाता है कि वह डीएसएसएसबी द्वारा प्रकाशित विज्ञापित नोटिस संख्या 03/2007 द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया के अनुसार गणितज्ञ/प्रशिक्षक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के मामले में आगे बढ़े।

(iii) प्रत्यर्थी चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और याचिकाकर्ता को तुरंत सूचित करेगा। इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत तरीके से विचार करने से मना कर दिया गया था, याचिकाकर्ता वरिष्ठता, काल्पनिक वेतन आदि के संरक्षण के परिणामी लाभों का हकदार होगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में उसकी योग्यता के अनुसार वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा।

(v) याचिकाकर्ता को वेतन के बकाये का हकदार नहीं माना जाएगा। रिट याचिका और लंबित आवेदनों को उपरोक्त शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है।

दस्ती

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

मई 20, 2014
एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*